न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– महेन्द्र मीणा,आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 94 / 2012

वादीगण

1. घासीराम पुत्र अमरचंद जाति कुम्हार उम्र 75 वर्ष निवासी वार्ड नं. 30, कुचामन सिटी
2. शिवबक्ष पुत्र अमरचंद जाति कुम्हार उम्र 70 वर्ष निवासी वार्ड नं. 30, कुचामन सिटी
3. भींवाराम पुत्र अमरचंद जाति कुम्हार उम्र 68 वर्ष निवासी वार्ड नं. 30, कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर, राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. रामादेवी पत्नी स्व. देवीलाल जाति कुम्हार निवासी वार्ड न. 30, कुचामन सिटी
2. ओमप्रकाश पुत्र स्व. देवीलाल जाति कुम्हार निवासी वार्ड न. 30, कुचामन सिटी
3. खेमाराम पुत्र स्व. देवीलाल जाति कुम्हार निवासी वार्ड न. 30, कुचामन सिटी
4. मोहनलाल पुत्र स्व. देवीलाल जाति कुम्हार निवासी वार्ड न. 30, कुचामन सिटी
5. केशराराम उर्फ केशाराम पुत्र स्व. चूनाराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड न. 30, कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर, राजस्थान।
6. उप–पंजीयक, कुचामन सिटी।
7. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी।

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री पुष्पेन्द्रसिंह मेड़तिया अधिवक्ता वादीगण की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :–1/1/17

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम कुचामन सिटी में कृषि भूमि खसरा नम्बर 1307 रकबा 0.27 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन आबादी, खसर नम्बर 1308 रकबा 0.0200 हैक्टर किस्म रास्ता, खसरा नम्बर 1309 रकबा 0.0300 हैक्टर किस्म बाड़ा कुल खसरा संख्या 3 कुल रकबा 0.3200 हैक्टर स्थित चली आ रही है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का सजरा खानदान निम्न प्रकार से वर्णित है :–

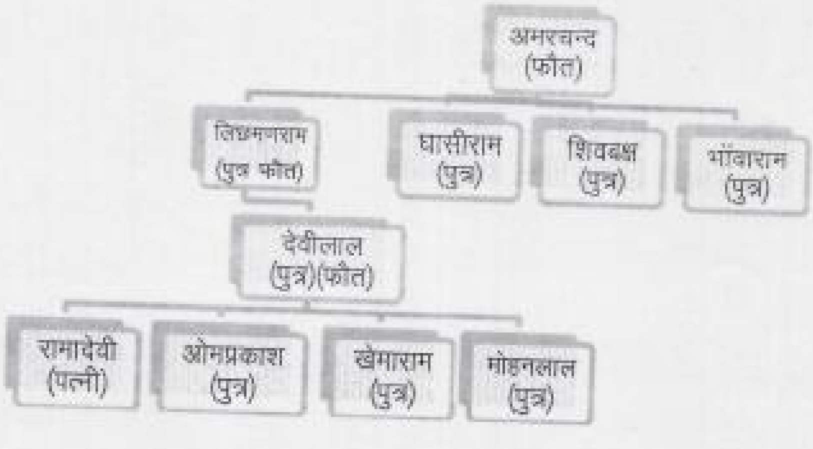

उपखण्ड अधिकारी
एंव पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

ग्राम कस्बा कुचामन सिटी में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1307 रकबा 0.27 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन आबादी, खसर नम्बर 1308 रकबा 0.0200 हैक्टर किस्म रास्ता, खसरा नम्बर 1309 रकबा 0.0300 हैक्टर किस्म बाड़ा कुल खसरा संख्या 3 कुल रकबा 0.3200 हैक्टर भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 व नाथूराम पुत्र आशाराम जाति कुम्हार के पूर्वजों की सम्पति हैं, जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का 1/2 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 5 का 1/4 हिस्सा व नाथूराम पुत्र आशाराम का 1/4 हिस्सा है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पिता स्व. देवीलाल के पिता स्व. लिछमणराम सगे भाई है तथा स्व. अमरचन्द के वंशज व वारिसान है। इस प्रकार उपरोक्त भूमि रकबा 0.32 हैक्टर में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की 1/2 भूमि के काबिज खातेदार है तथा वादीगण का प्रत्येक का 1/8 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का 1/8 हिस्सा 0.32 हैक्टर भूमि में स्थित है, जिसमे कब्जाकाश्त पूर्वजों से चला आ रहा है। खसरा नम्बर 1307, 1308, 1309 की भूमि कुचामन सिटी के पुराने वार्ड नं. 20 तथा वर्तमान में वार्ड संख्या 30 में स्थित है। उपरोक्त भूमि के चारो ओर शहर की सघन आबादी बसी हुई है। भूमि की किस्म भी गैर मुमकिन आबादी है। रास्ता व बाड़ा है, परन्तु उपरोक्त भूमि आज भी कृषि भूमि के रूप में राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज ची आ रही है। उपरोक्त भूमि में वादीगण के पिता स्व. अमरचन्द के अपने 1/2 हिस्से की भूमि पर पुरानी हवेली अपने जीवनकाल में बनाई व मवेशियान के लिए बाड़े बनाये तथा उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिसान ने आपसी सहमति से अपने हक–हिस्से अनुसार बंटवारा कर अपने अलग–अलग हिस्से अनुसार वर्षों पूर्व काबिज हो गये तथा आज दिन भी निरन्तर रूप से बिना किसी रोक–टोक के काबिज चले आ रहे है। खसरा नम्बर 1307, 1308, 1309 की सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी स्व. देवीलाल पुत्र स्व. लिछमणराम ने राजस्व अधिकारियों से सांठ–गांठकर अपने अकेले के नाम बिना किसी सक्षम अधिकारी, बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश व बिना किसी हस्तान्तरण विलेख के अपने अकेले के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवा ली तथा प्रतिवादी संख्या 5 ने स्व. देवीलाल के विरूद्ध राजस्व न्यायालय में वाद पेशकर न्यायालय की डिक्री से 1/4 हिस्से की भूमि अपने नाम इन्द्राज करवाली। स्व. देवीलाल द्वारा अकेले के नाम राजस्व रेकर्ड में भूमि इन्द्राज करवा लेने मात्र से वादीगण को उक्त भूमि में प्राप्त विधिक अधिकारों पर विपरीत प्रभाव नही पड़ता है। वादीगण वर्षों से अपने हक–हिस्से अनुसार उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि में निरन्तर बिना किसी रोक–टोक के शांतिपूर्वक काबिज होने से By operation of law प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वतः ही खातेदार काश्तकार हो चुके है। स्व. देवीलाल पुत्र लिछमणराम ने अपने जीवनकाल में इकरारनामा बाबत मकान, बाड़ा व नोहरा के बंटवारे के जरिए दिनांक 25/12/1993 को एक पारिवारिक बंटवारे की याददाश्त की लिखित अपने जीवनकाल में वादीगण को लिखकर दी थी जिसमें पारिवारिक बंटवारे अनुसार तीनों भाईयों व भाई लिछमणराम के पुत्र देवीलाल ने पुश्तैनी मकान व बाड़ों का बंटवारा कर लिया। पुश्तैनी मकान के पश्चिमी–दक्षिणी हिस्से के तीन कमरे व एक ऊपर का चौबारा व दोनो तरफ के बरामदे घासीराम के हक व हिस्से में रखे गये तथा इसी तरफ उक्त मकान के हिस्से के लगते ही जो नोहरा (बाड़ा) है वह घासीराम के हक–हिस्से में रखा गया। पुश्तैनी मकान के उत्तरी–पश्चिमी हिस्से के दो कमरे व एक रसोई व दोनो तरफ का बरामदा भींवाराम के हक–हिस्से में रखा गया तथा इसी मकान के उत्तरी–पश्चिमी हिस्से का नोहरा (बाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

भींवाराम के हक–हिस्से में रखा गया। घासीराम व भींवाराम के हक–हिस्से के मकान में दोनो के हिस्से के मध्य पिछवाड़े जाने की सुरंग (गैलेरी) दोनो का आधा–आधा अर्थात् दोनो के बराबर–बराबर उपयोग–उपभोग हेतु रखी गई। इसी प्रकार पुश्तैनी मकान के उत्तरी–पूर्वी हिस्से में बने दो ठाव दो कमरे, एक साल, एक रसोई व दोनो तरफ के बरामदें शिवबक्ष पुत्र अमरचंद के हक–हिस्से में रखे गये तथा उत्तरी–पूर्वी हिस्से के लगते ही चौक भी शिवबक्ष के हक–हिस्से में रखा गया। इसी अनुसार मकान के पूर्वी–दक्षिणी हिस्से में बने दो ठाव दो कमरे, एक साल, एक रसाई व दोनो तरफ बना बरामदा तथा प्रथम मंजिल पर बनी एक रसोई व एक चौबारा देवीलाल पुत्र स्व. लिछमणराम के हक–हिस्से में रखा गया तथा इसी पूर्वी–दक्षिणी हिस्से में स्थित चौक व उसमें बने कच्चे मकान देवीलाल पुत्र स्व. लिछमणराम के हक–हिस्से में रखे गये तथा उक्त पुश्तैनी मकान के मध्य में जो दरवाजा बना हुआ है वह शिवबक्ष व देवीलाल के आधे–आधे हक–हिस्से में रखा गया। भींवाराम के हक–हिस्से के बाड़े से पश्चिम–उत्तर में लगते एक अन्य बाड़ा है जो देवीलाल पुत्र लिछमणराम के हक–हिस्से में रखा गया तथा इसके अतिरिक्त एक बाड़ा खसरा नं. 1309 में स्थित है वह घासीराम व शिवबक्ष के बराबर–बराबर हक–हिस्से में रखा गया। इस प्रकार उपरोक्त बंटवारे अनुसार नाप–चौक कर बंटवारा कर लिया तथा सभी इसी प्रकार अपने हक–हिस्से अनुसार काबिज हो गये व देखभाल व मरम्मत मकान अपने हिस्से में अपने खर्चें से कराते रहेंगे। इसी बंटवारे अनुसार वादीगण के पक्ष में खातेदारी इन्द्राज कराने हेतु देवीलाल सहमत हो गया, परन्तु बाद में वह वादीगण के नाम खातेदारी इन्द्राज कराने हेतु टालता रहा व देवीलाल की मृत्यु हो गई। देवीलाल की मृत्यु के बाद उपरोक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में देवीलाल के वारिसान का नाम राजस्व रेकर्ड में विरासत अनुसार दर्ज हो गया। वादीगण द्वारा उपरोक्त भूमि के राजस्व अभिलेख की नकले हल्का पटवारी से प्राप्त कर स्व. देवीलाल के वंशज वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को उनके पिता देवीलाल व वादीगण के मध्य हुए पारिवारिक बंटवारे अनुसार बंटवारे की लिखित दिनांक 25.12.1993 के अनुसार भूमि वादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराने का कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 द्वारा पुनः अपने पिता व वादीगण द्वारा किए गये बंटवारे व हक–हिस्से अनुसार पुनः बंटवारे की तीन अलग–अलग लिखित दिनांक 19.10.2012 को वादीगण के पक्ष में लिखकर दी तथा वादीगण का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने का कहा। दिनांक 23.10.2012 को वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को उपरोक्त खसरा नं. 1307, 1308, 1309 में स्थित अपने कब्जे व हक–हिस्से की भूमि अपने नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कराने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 स्पष्ट तौर पर इन्कार हो गये व वादीगण को यह एलानियां धमकी दी कि वह वादीगण के हक–हिस्से की भूमि कभी भी उनके नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नही करायेंगे तथा उनके हक–हिस्से की भूमि मकान, बाड़ो का बेचान किसी अजनबी व बलशाली व्यक्तियों को कर देंगे तथा जबरन कब्जा करवा देंगे। वादीगण ने उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम इन्द्राज करवाने हेतु राजस्व अधिकारियों को कहा तो वे भी स्पष्ट तौर पर इन्कार हो गये। अगर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 वादीगण के हक–हिस्से व कब्जे की भूमि मकान, बाड़ा इत्यादि का बेचान हस्तान्तरण किसी अन्य अजनबी व बलशाली व्यक्तियों के हक में करने व जबरन कब्जा कराने में सफल हो गये तो वादीगण को भारी असुविधा होगी तथा अपार क्षति होगी, जिसकी पूर्ति निकट भविष्य में किसी भी प्रकार से सम्भव नही

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
सुजानगढ़ (नागौर)

होगी। वादीगण को अपने पूर्वजो की अपने हक–हिस्से की भूमि, मकानात व बाड़ा इत्यादि में प्राप्त अपने हक–अधिकारों से महरूम होना पड़ेगा इसलिए यह वाद बाबत घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना लाजमी हुआ है। वादीगण की इस्तदुआहै कि एक डिक्री बाबत खातेदारी घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 इस आशय की सादिर फरमावे की मौजा कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 1307, 1308, 1309 कुल रकबा 0.32 हैक्टर भूमि में वादी घासीराम को 1/8 हिस्से, वादी शिवबक्ष को 1/8 हिस्से व वादी भींवाराम को 1/8 हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमावें तथा इसी माफिक रेकर्ड में संशोधन कराने का राजस्व अधिकारियों को आदेशित करावें, एवं बाबत स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व 6, 7 इस आशय की सादिर फरमावें कि मौजा कस्बा कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 1307, 1308, 1309 कुल रकबा 0.32 हैक्टर भूमि में वादीगण के कब्जे व हक–हिस्से की भूमि का बेचान व हस्तान्तरण प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 न तो स्वयं करे तथा न ही अपने एजेन्ट प्रतिनिधियों से करावें तथा न ही कब्जे से वादीगण को बेदखल कर जबरन कब्जा करावें तथा प्रतिवादी संख्या 6, प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 द्वारा उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि के सम्बन्ध में पेश किये गये बेचान हस्तान्तरण विलेख का पंजीयन अपने कार्यालय में नही करे तथा प्रतिवादी संख्या 7 राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखे।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद इतला प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही की गई। दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण द्वारा जमाबन्दी नकलात इत्यादि प्रस्तुत की। मौखिक साक्ष्य में भींवाराम, घासीराम, शिवबक्ष के शपथ–पत्र प्रस्तुत किये।

वकील वादीगण की बहस सुनी गई। बहस दौरान बताया कि प्रश्नगत भूमि पैतृक भूमि रही है तथा पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है, तथा मौके पर आवासीय मकानात इत्यादि बने हुये है जिनका बंटवारा अमरचन्द जी के समय एवं देवीलाल के जीवनकाल मे कर दिया गया था तथा इसी अनुसार काबिज चले आ रहे है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। पर्चा लगान अनुसार ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1214 रकबा 0.08 हैक्टर गै.मु.मन्दिर, खसरा नम्बर 1307 रकबा 0.27 हैक्टर गै.मु.आबादी, खसरा नम्बर 1308 रकबा 0.02 हैक्टर गै.मु.रास्ता, खसरा नम्बर 1309 रकबा 0.03 हैक्टर गै.मु.बाड़ा कुल रकबा 0.40 हैक्टर दर्ज है जिसमे गोर्धन पुत्र भंवरलाल नन्दलाल मानमल पि. पृथ्वीराज पुरोहित सा. देह खातेदार दर्ज है। इसी दौरान दूसरा पर्चा लगान जारी हुआ जिसमे कुचामनसिटी के खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1307 रकबा 0.27 हैक्टर गै.मु.आबादी, खसरा नम्बर 1308 रकबा 0.02 हैक्टर गै.मु.रास्ता, खसरा नम्बर 1309 रकबा 0.03 हैक्टर गै.मु.बाड़ा कुल रकबा 0.32 हैक्टर दर्ज है जिसमे देवीलाल पुत्र लिछमणराम जाति कुम्हार सा. देह खातेदार दर्ज है। वादीगण के परिवार में लिछमण कर्ता के पुत्र देवीलाल खानदान होने से उसके पुत्र के नाम वरवक्त आपसी सहमति से पर्चा लगान जारी करवाया गया । जमाबन्दी नकल सम्वत 2066–2069 ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1307 रकबा 0.27 हैक्टर गै.मु.आबादी में देवीलाल पुत्र लिछमणराम हि. 3/4 केशराराम उर्फ केशाराम पुत्र चूनाराम जाति कुमावत हि. 1/4 सा. देह खातेदार ना. स. 2683 दर्ज है। नामा.सं. 3386 नि. दिनॉक

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

02.07.2009 वसीयत से देवीलाल पुत्र लिछमणराम के स्थान पर ओमप्रकाश खेमाराम मोहनलाल पि. देवीलाल रामादेवी पत्नी देवीलाल का नाम दर्ज किया गया। जमाबन्दी नकल सम्वत 2066–2069 ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1308 रकबा 0.0200 हैक्टर गै.मु.रास्ता, खसरा नम्बर 1309 रकबा 0.0300 हैक्टर गै.मु.बाड़ा कुल रकबा 0.05 हैक्टर में दृ देवीलाल पुत्र लिछमणराम कौम कुम्हार सा. देह खातेदार ना.स. 2683 दर्ज है। नामा.सं. 3386 नि.दि. 02.07.2009 वसीयत से देवीलाल पुत्र लिछमणराम के स्थान पर ओमप्रकाश खेमाराम मोहनलाल पि. देवीलाल रामादेवी पत्नी देवीलाल का नाम दर्ज किया गया। जमाबन्दी नकल सम्वत 2070–2073 ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1307 रकबा 0.27 हैक्टर गै.मु.आबादी में ओमप्रकाश खेमाराम मोहनलाल पि. देवीलाल रामादेवी पत्नी देवीलाल कौम कुम्हार हि. 3/4 केशराराम उर्फ केशाराम पुत्र चूनाराम जाति कुमावत हि. 1/4 सा. देह खातेदार ना.स. 3386 दर्ज है। जमाबन्दी नकल सम्वत 2070–2073 ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1308 रकबा 0.0200 हैक्टर गै.मु.रास्ता, खसरा नम्बर 1309 रकबा 0.0300 हैक्टर गै.मु.बाड़ा कुल रकबा 0.05 हैक्टर में ओमप्रकाश खेमाराम मोहनलाल पि. देवीलाल रामादेवी पत्नी देवीलाल कौम कुम्हार सा. देह खातेदार ना.स. 3386 दर्ज है। इकरारनामा बाबत मकान व बाड़ा दि. 25.12.1993 मुताबिक घासीराम शिवबगसाराम भींवाराम पि. अमरचन्द जाति कुमावत एवं देवीलाल पुत्र स्व. लिछमणराम जाति कुमावत निवासीगण वार्ड नम्बर 20 कुचामनसिटी द्वारा खसरा नम्बर 1307 एवं 1309 गै.मु. आबादी स्थित भूमि में बने मकानात एवं भूमि का बंटवारा आपसी सहमति से किया हुआ है तथा अलग अलग भूमि एवं मकानात की लिखावट की गई है, जिसमें देवीलाल को अन्य भाईयो के नाम भूमि करवाने हेतु पाबन्द किया हुआ है जिसमे देवीलाल शिवबगस घासीराम, भींवाराम के हस्ताक्षर एवं अंगूष्ट निशानात है तथा अन्य दो गवाहो के हस्ताक्षर भी है। तत्पश्चात तीन पारिवारिक बंटवारा दिनॉक 19.10.2012 को ओमप्रकाश, खेमाराम, मोहनलाल पि. देवीलाल रामादेवी पत्नी देवीलाल जाति कुमावत निवासी कुचामनसिटी द्वारा खसरा नम्बर 1307, 1308, 1309 की भूमि की पुनः लिखित की गई है जिसमें केशराराम व नाथूराम का 1/2 हिस्सा देवीलाल के वारिसान का 1/4, घासीराम शिवबक्षराम भंवाराम को 1/4 हिस्सा रखा गया है। जिस पर पक्षकारान के हस्ताक्षर है। विधानसभा क्षेत्र नावां की निर्वाचक नामावली वर्ष 1971 के भाग संख्या 21 मे उक्त पक्षकारान का परिवार एक ही स्थान पर निवास करना प्रमाणित होता है तथा विधान सभा क्षेत्र नावां की मतदाता सूची वर्ष 1993 के भाग संख्या 85 की छाया प्रति अनुसार भी उपरोक्त पक्षकारान एक ही जगह निवास करते आये है। जिससे साबित होता है कि पक्षकारान की भूमि पैतृक एवं संयुक्त कब्जे काश्त की चली आ रही है जिसमे वादीगण का हक हिस्सा भी निहित है, चूंकि लिछमणराम कर्ता खानदान होने से उनके तथा उनके पश्चात उनके पुत्र देवीलाल तथा देवीलाल की मृत्यु पश्चात उनके वारिसान का नाम खातेदारी में दर्ज चला आया है परन्तु वर्ष 25.12.1993 की लिखित सहमति देवीलाल द्वारा दिये जाने तथ पारिवारिक बंटवारा वर्ष 2012 अनुसार भी प्रतिवादीगण द्वारा स्टाम्प पर लिखित सहमति देने से स्पष्ट है कि वादीगण का भी उक्त भूमि में हक हिस्सा है, वादीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र अनुसार भी उक्त तथ्यो की पुष्टि होती है। अतः वाद वादीगण काबिल डिक्री योग्य पाया गया। वाद वादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
कुचामनसिटी (नागौर)

आदेश

ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1307 रकबा 0.27 हैक्टर गै.मु.आबादी में वादी घासीराम पुत्र अमरचन्द कुम्हार को 0.050625 हैक्टर, वादी शिवबक्ष पुत्र अमरचन्द कुम्हार को 0.050625 हैक्टर, वादी भींवाराम पुत्र अमरचन्द कुम्हार को 0.050625 हैक्टर, तथा प्रतिवादीगण रामादेवी पत्नी स्व. देवीलाल कुम्हार ओमप्रकाश पुत्र स्व. देवीलाल कुम्हार खेमाराम पुत्र स्व. देवीलाल कुम्हार मोहनलाल पुत्र स्व. देवीलाल कुम्हार को 0.050625 हैक्टर तथा प्रतिवादी केशराराम उर्फ केशाराम पुत्र चूनाराम जाति कुम्हार को 0.0675 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 1308 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 1309 रकबा 0.03 हैक्टर कुल रकबा 0.05 हैक्टर में वादी घासीराम पुत्र अमरचन्द कुम्हार को 1/4 हिस्सा, वादी शिवबक्ष पुत्र अमरचन्द कुम्हार को 1/4 हिस्सा, वादी भींवाराम पुत्र अमरचन्द कुम्हार को 1/4 हिस्सा, तथा प्रतिवादीगण रामादेवी पत्नी स्व. देवीलाल कुम्हार ओमप्रकाश पुत्र स्व. देवीलाल कुम्हार खेमाराम पुत्र स्व. देवीलाल कुम्हार मोहनलाल पुत्र स्व. देवीलाल कुम्हार को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावें।

निर्णय आज दिनॉक 1/12/17 को सरे इजलास सुनाया गया।

(महेन्द्र मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी(नागौर)

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)